न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)

ठासीन अधिकारीः– श्री दिनेश आचार्य आर.ए.एस.

करण संख्याः– 05/2024

तारीख दायर–06.03.2024

तारीख निर्णय–17.04.2026

1. श्री चतरीया पुत्र विरमा मीणा निवासी बलीचा ग्राम पंचायत बलीचा तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर।

........वादीगण

बनाम

1. **श्री प्रथा पुत्र हामता मीणा निवासी बलीचा ग्राम पंचायत बलीचा तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर।**
2. **श्री बद्रीलाल पुत्र गमाना मीणा निवासी बलीचा ग्राम पंचायत बलीचा तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर।**
3. **श्रीमान तहसीलदार लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)**

............प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53,188 आर.टी. एक्ट

उपस्थित– वादी की ओर से– अधिवक्ता श्री पुष्करलाल मीणा

प्रतिवादी की ओर से– अधिवक्ता मुकेश चोबिसा

निर्णय

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि मौजा बलीचा पटवार हल्का बलीचा भू.अ.निरीक्षक क्षैत्र कालीभीत तहसील लसाडिया के जमाबन्दी संवत् 2075–2078 (अ) खाता संख्या नया 401 व पुराना 91 में वर्णीत आराजी नम्बर 912 रकबा 1. 8900 हैक्टेयर, (ब) खाता संख्या नया (90) व पुराना (82) में वर्णित आराजी नम्बर 909 रकबा 0.1728 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 913/1 रकबा 0.1188 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 914 रकबा 0. 1404 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 915 रकबा 0.1188 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 917 रकबा 0.0864 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 919 रकबा 0.1512 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 937 रकबा 0.0972 हैक्टेयर आराजी नम्बर 941 रकबा 0.1620 हैक्टेयर कुल किता 08 कुल रकबा 1.0476 हैक्टेयर (स) के खाता संख्या नया 91 पुराना 83 मे वर्णित आराजी 1088/1 रकबा 0.1512 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 911 रकबा 0.3132 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 939 रकबा 0.1404 हैक्टेयर कुल किता 03 कुल रकबा 0.6048 हैक्टेयर भूमि भूमि स्थित है। उक्त आराजियात भूमि पर वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त स्वामित्व खातेदार होकर वादीगण एवं प्रतिवादीगण संयुक्त रूप से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। वादीया एंव प्रतिवादीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद होने से आये दिन कृषि कार्य करने में बाधा उत्पन्न हो रही है साथ ही मौके पर मौखिक विभाजन होने से सीमा को लेकर विवाद होता रहता है। वादी द्वारा प्रतिवादीगण को भूमि के विभाजन हेतु कई मर्तबा निवेदन किया, परन्तु प्रतिवादी द्वारा विभाजन किये जाने में कोई तत्परता नही दिखाने से वादी को माननीय न्यायालय आप में उक्त वाद संस्थित करना आवश्यक होने से पेश किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त आराजी का वादीया एवं प्रतिवादीगण के मध्य विभाजन की

डिकी पारित किया जाना नितान्त आवश्यक है। अतः निवेदन किया गया कि वादी का वाद स्वीकार फरमाया जाकर उक्त आराजी का विधिक विभाजन बाई मिट्स एण्ड बांउडस के आधार पर किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण पेश होने पर बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन मय नकल वाद पत्र के तलब किये गये। प्रतिवादीगण द्वारा जवाब पेश नही किये जाने से प्रतिवादीगण का जवाब बन्द किया गया व अधिवक्ता वादी व अधिवक्ता प्रतिवादीगण बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में कथन किये की हमारे हिस्से में कलम संख्या 1 (अ) में 1/4 हिस्सा व 1(ब) में 1/2 हिस्सा व 1(स) में 1/4 हिस्सा है। अतः उक्त वर्णित अनुसार बटवारा किया जावें। तत्पश्चात् अधिवक्ता प्रतिवादीगण की बहस सुनी गई विद्वान अधिवक्त प्रतिवादीगण ने अपनी बहस में कथन किये की रिकॉर्ड व मौके के अनुसार बटवाडा किया जावे तो हमें कोई आपत्ति नही है।

हमनें विद्वान अधिवक्ता वादी व अधिवक्ता प्रतिवादी की वहस पर मनन, पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज जमाबन्दी के अवलोकन से वादी एवं प्रतिवादी वादग्रस्त आराजियात के संयुक्त खातेदार है। वादी वादग्रस्त आराजियात का बाई मिट्स एवं बाउण्ड्स के आधार पर विभाजन चाहते है। उक्त तथ्यों के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद साबित पाये जाने से स्वीकार किया जाता है। मौजा बलीचा पटवार हल्का बलीचा भू.अ.निरीक्षक क्षैत्र कालीभीत तहसील लसाडिया के जमाबन्दी संवत् 2075-2078 (अ) खाता संख्या नया 401 व पुराना 91 में वर्णीत आराजी नम्बर 912 रकबा 1.8900 हैक्टेयर, (ब) खाता संख्या नया (90) व पुराना (82) में वर्णित आराजी नम्बर 909 रकबा 0.1728 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 913/1 रकबा 0.1188 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 914 रकबा 0.1404 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 915 रकबा 0.1188 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 917 रकबा 0.0864 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 919 रकबा 0.1512 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 937 रकबा 0.0972 हैक्टेयर आराजी नम्बर 941 रकबा 0.1620 हैक्टेयर कुल किता 08 कुल रकबा 1.0476 हैक्टेयर (स) के खाता संख्या नया 91 पुराना 83 मे वर्णित आराजी 1088/1 रकबा 0.1512 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 911 रकबा 0.3132 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 939 रकबा 0.1404 हैक्टेयर कुल किता 03 कुल रकबा 0.6048 हैक्टेयर भूमि भूमि स्थित है। भूमि की पक्षकारान के मध्य अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी के सिद्वान्त के आधार पर बाईमिट्स एण्ड बाउड्स के अनुसार विभाजन किये जाने हेतु तहसीलदार लसाडिया को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 17.04.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(दिनेश आचार्य RAS)
उपखण्ड अधिकारी
लसाडिया, जिला सलुम्बर